



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 429]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 25, 1979/कार्तिका 3, 1901

No. 429]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 1979/KARTIKA 3, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संरचना दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## मंत्रिमण्डल सचिवालय

### प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1979

का० प्रा० 599 (प्र०) :- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-प्राबन्धन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-प्राबन्धन) (एक ली अड़तीसवां संशोधन) नियम, 1979 है ।

(2) ये इनके आसकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-प्राबन्धन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,-

(क) "श्रम मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "भाग V—प्रकीर्ण कार्य" उपशीर्षक के नीचे, 22 और 25क प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"22. कोयला खानों से भिन्न खानों में सुरक्षा और कल्याण से संबंधित विधियों का; और खान और भद्रक खान कल्याण के मुख्य निरीक्षक के संगठनों का प्रशासन ।";

25क. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), और उपदान संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का 39) का प्रशासन ।";

(ख) "विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "क. विधि कार्य विभाग" उपशीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 13 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"13क. विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड ।";

(ग) "पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "ख रसायन और उर्वरक विभाग" उपशीर्षक के नीचे, मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"1. उर्वरकों का उत्पादन ।

2. औषधियां तथा फार्मास्यूटिकल्स ।

3. कीटनाशी (कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रशासन के अतिरिक्त) ।

4. शीघ्र-वितरण और मूल्य-निर्धारण ।

5. एलकोहल—औद्योगिक और घरेलू, भारतीय पावर एलकोहल अधिनियम, 1948 (1948 का 22) सहित ।

6. रंजक-द्रव्य और रंजक-मस्यक ।

7. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टनया आर्बिटन नही किए गए हैं ।
8. विभाग द्वारा अयस्कृत सब उद्योगों को योजना, विकास तथा नियंत्रण और सहायता ।
9. इस विभाग के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से भी संबंधित सभी संलग्न अथवा अधीनस्थ कार्यालय प्रथमा अन्य संगठन ।
10. इस विभाग में सम्मिलित विषयों से संबंधित सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ, उन परियोजनाओं को छोड़कर जो किसी अन्य मंत्रालय प्रथमा विभाग को विनिर्दिष्टनया आर्बिटन की गई हैं ।
11. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) ।
12. पायराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि० ।”

(घ) “हस्तात, खान और कोयला मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत, “ग. कोयला विभाग” उपशीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 5 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

- “5क. कोयला खान भविष्य निधि संगठन;
- 5ख. कोयला खान कल्याण संगठन;
- 5ग. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन,
- 5घ. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन ।” ।

नीलम संजीव रेड्डी  
राष्ट्रपति

[सं० 74/3/10/79-मंत्रि०]  
के० सहगल, संयुक्त सचिव

### CABINET SECRETARIAT

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 1979

**S.O. 599(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and thirty-eighth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

- (a) under the heading “MINISTRY OF LABOUR (SHRAM MANTRALAYA)”, under the sub-heading “Part V—Miscellaneous Business”, for entries 22 and 25A, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

“22. Administration of laws connected with safety and welfare in mines, other than coal mines; organisations of the Chief Inspector of Mines and Mica Mines Welfare.”;

“25A. Administration of Employees’ State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, and Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972).”;

- (b) under the heading “MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (VIDHI, NYAYA AUR KAMPANI KARYA MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS (VIDHI KARYA VIBHAG)” after entry 13, the following entry shall be inserted, namely:—

“13A. Foreign Exchange Regulation Appellate Board.”;

- (c) under the heading “MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (PETROLEUM, RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)”, under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RASAYAN AUR URVARAK VIBHAG)”, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

- “1. Production of fertilizers.
2. Drugs and Pharmaceuticals.
3. Insecticides (excluding the administration of the Insecticides Act, 1968).
4. Molasses—distribution and pricing.
5. Alcohol—Industrial and potable, including the Indian Power Alcohol Act, 1948 (22 of 1948).
6. Dye-stuffs and dye-intermediates.
7. All organic and inorganic chemicals, not specifically allotted to any other Department.
8. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
9. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified under this Department.
10. Public sector projects concerned with the subjects included under this Department, except such projects as are specifically allotted to any other Ministry or Department.
11. Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952).
12. Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited.”;

- (d) under the heading “MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL (ISPAT, KHAN AUR KOYALA MANTRALAYA)”, under the sub-heading “C. DEPARTMENT OF COAL (KOYALA VIBHAG)”, after entry 5, the following entries shall be inserted, namely:—

“5A. The Coal Mines Provident Fund Organisation ;

5B. The Coal Mines Welfare Organisation ;

5C. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948) ;

5D. Administration of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).”.

N. SANJIVA REDDY, President.

[No. 74/3/10/79-Cab.]

K. SAIGAL, Jt. Secy.